न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 16/2015 **दायर दिनांकः 04.03.2015**

उनवान

1. चन्द्रमोहन आयु 52 वर्ष पुत्र जगमोहन जाति बैरवा निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,91 आर.टी.एक्ट
बाबत् इद्राज दुरूस्ती

उपस्थिति :—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

आदेश

दिनाकः 12.03.2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91 आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू में वादी को दिनांक 31.05.1989 को आराजी ख.नं. 123 का रकबा 5 बीघा आवंटन हुई थी मौके पर जाकर प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा आवंटन शुदा आराजी पर मौके पर दखल नामा तैयार करके वादीको दखल दे दिया गया था तथा वादी को आवंटन शुदा आराजी वादी के नामान्तकरण संख्या 865 की पुश्त के पीछे आवंटन शुदा आराजी का नक्शा तथा संपूर्ण ख.नं. 123 की आराजीयात का नक्शा भी बनाया गया था उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वक्त आंवटन किस्म बंजड दर्ज थी दखल नामा मौके पर देने के बाद में वादी आंवटन शुदा आराजी को काश्त करने लग गया था। वाद पत्र के साथ में नकल आंवटन, दखलनामा, नामान्तकरण संख्या 865, पुराना नक्शा एवं नया नक्शा ट्रेस तथा पुरानी एवं नवीन जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल पेश है जो काबिल गौर है। वादी को सन् 1989 में भूमि आंवटन हुआ था, उसी समय सन् 1988 से 1990 तक तहसील अटरू में सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट भी किया जा रहा था तथा आंवटन शुदा आराजी ख.नं. 123 का रकबा उक्त आंवटन में 45 बीघा 15 बिस्वा बंजड के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज था जिसके बाद सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा नवीन ख.नं. 191,192,173,177,178 बनाये है जिसकी जमाबंदी तथा नये ख.नं. का नक्शा भी वाद पत्र के साथ में पेश है जो काबिल गौर है। आंवटन शुदा आराजी को वक्त सेटलमेंट प्रतिवादी के कर्मचारियों ने नया राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में आंवटन शुदा आराजी में दर्ज नहीं किया है और न ही आवंटन शुदा आराजी का नया नक्शा बनाया है और प्रतिवादी के कर्मचारियों ने पुराना ख.नं. 123 के नवीन ख.नं. 173,177,178 बनाकर गैर मुमकिन किस्म बंजड में दर्ज कर दिया है। आवंटन शुदा आराजी पुराने नक्शे के मुताबिक नवीन नक्शे में ख.नं. 173 के रकबे में उत्तर साईड में दर्ज होनी चाहिये थी लेकिन राजस्व रिकार्ड तथा नक्शे में वादी के आवंटन शुदा आराजी को अमल दरामद नहीं किया जबकि आवंटन आदेश तथा दखलनामा तथा

नामान्तकरण संख्या 865 आज ही प्रभावी है वादी ने प्रतिवादी के यहां नवीन ख.नं. की आराजी 0.80 है0 ख. नं. 173 में से उत्तर साईड की खाते बंधवाने के लिये भी प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर तहसीलदार साहब अटरू ने कहा कि राजस्व न्यायालय में दावा करो इस वजह से वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादी को वाके ग्राम एवं माल कवाई की आराजी ख.नं. 173 में से उत्तर साइड पर पुराने नक्शे के मुताबिक वादी को रकबा 0.80 है0 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए ख.नं. 173 का रकबा उत्तर साइड 0.80 है0 वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खाते दर्ज किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे इस हेतु यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। वादी द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, बारां को अन्तर्गत धारा 80 जा0दी0 2 माह का रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित करवा दिया है लेकिन वादी का इद्रांज दुरूस्ती नहीं करने के कारण नोटिस की अवधि समाप्त होने पर माननीय न्यायालय में यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है। जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 15.03.2013 को आवंटन शुदा आराजी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने की जानकारी होने पर राजस्व रिकार्ड नकले प्रापत करने तथा अंतिम बार 17.02.2015 को अन्तर्गत धारा 80 जा0दी0 के नोटिस की अवधि समाप्त होने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावे कि – (अ) वादी को ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू की आराजी नवीन ख.नं. 173 का रकबा 0.80 है0 उत्तर साईड का पुराने नक्शे के मुताबिक खातेदार कृषक घोषित किया जावे अर्थात दुरूस्त करते हुये वादी के नवीन ख.नं. 173 का रकबा 0.80 है0 आराजी उत्तर साइड की खाते दर्ज करते हुए कब्जा भी दिलाया जावे। (ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी को अंतिम अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया। तहसीलदार अटरू के मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक 1205 दिनांक 21.10. 2019 से रिपोर्ट पेश की है कि ग्राम कवाई के आराजी ख.नं. 173 रकबा 8.31 है0 भूमि किस्म गै0मु0 बरडा की मौका स्थिति की रिपोर्ट चाही गई है। आज दिनांक 21.10.2019 को ग्राम कवाई की आराजी ख.नं. 173 रकबा 8.31 है0 भूमि गै0मु0 बरडा का मोके पर उपस्थित होकर मौका देखा गया। उपरोक्त ख.नं. खाली है। मौके पर उक्त ख.नं. खाली है और उक्त ख.नं. पर वन विभाग का कब्जा है। ख.नं. 173 रकबा 8.31 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है।

साक्ष्यवादी के तहत PW-1 के बयान लेखबद्ध किये तथा रिकार्ड Exp करवाया गया और शेष साक्ष्यवादी पेश नहीं करने के कारण शेष साक्ष्यवादी बंद किये जाते है।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सूनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि माल कवाई की वादी को दिनांक 31.05.1989 ख.नं. 123 रकबा 5 बीघा आराजी आंवटन हुई थी जिस पर प्रतिवादीगण के अधीनस्थ कार्मिको द्वारा वादी को भूमि पर

दखल देकर कब्जा संभलाया गया था जिसका नामान्तकरण 865 खोला गया तभी से वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है।

लेकिन सेटलमेंट के कार्मिको द्वारा सन् 1988 से 1990 में आंवटन शुदा भूमि का ख.नं. 123 का कुल रकबा 45 बीघा 15 बिस्वा बंजड भूमि के नये ख.नं. 191,192,173,177,178 बनाये जाकर राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 1 राज0 सरकार के ख.नं. 173, 177, 178 खाते दर्ज कर दी गई

अतः आंवटन शुदा आराजी ख.नं. 123 का 5 बीघा वादी को आवंटित भूमि नवीन ख.नं. 173 में से रकबा 0.80 है0 आराजी पर वादी के खाते दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेज आवंटन 31.05.1989 से वादी की ख.नं. 123 की 5 बीघा भूमि आवंटन हुई। जिस पर दखल दिनांक 29.06.1989 को दिया जाकर कब्जा संभलाया गया था जिसका नामा0 865 खोलकर गैर खातेदारी दर्ज की गई, जो Exp-6 है। बाद सेटलमेंट ख.नं. 123 के नये ख.नं. 191,192,173,177,178 नये नम्बर बनाकर खाता सरकार ख.नं. 173,177,178 दर्ज कर दिया गया रिपोर्ट तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 173 रकबा 8.31 है0 गै0मु0 बरड़ा मौके पर खाली है तथा वन विभाग का कब्जा होना बताया गया है तथा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

अतः न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कवाई की ख.नं. 173 में से उत्तर दिशा 0.80 है0 भूमि पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी,
अटरू, जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 16/2015

उनवान

1. चन्द्रमोहन आयु 52 वर्ष पुत्र जगमोहन जाति बैरवा निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,91 आर.टी.एक्ट
बाबत् इद्राज दुरूस्ती

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

उपस्थिति :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है, अतः वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार आदेश किये जाते है –

उपराक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कवाई की ख.नं. 173 में से उत्तर दिशा 0.80 है0 भूमि पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.03.2020 को जारी किया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 16:21:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: